

जनपद जालौन, उत्तर प्रदेश

प्रेस नोट सं0 50 दिनांक:- 02.10.2021

पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा गठित स्पेशल टीम, थाना कोंच पुलिस एवं एसओजी व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम द्वारा थाना कोंच क्षेत्रान्तर्गत में हुयी कोरोसिव कैमिकल अटैक की सनसनीखेज घटना का खुलासा करते हुये 04 अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

1. पंकज उर्फ प्रेम नारायण पुत्र श्रीराम सैनी नि0 नारायणपुर कोत0 औरैया जनपद औरैया (पीडिता का जीजा)
2. संजय पाल उर्फ सुरेन्द्र सिंह पुत्र आशाराम पाल नि0 रायपुर उल्लाहस (मुडीगांव) कोत0 औरैया (जीजा का ड्राइवर)
3. विनय पुत्र मन्नी सिंह ठाकुर नि0 पुरवा चन्देल हैदलपुर थाना अजीतमल जनपद औरैया (20000/- रू0 नगद बरामद)
4. गौरव यादव पुत्र मोहन चन्द्र नि0 सुजीतपुरा थाना भरथना जनपद इटावा(5000/- रू0 नगद बरामद)

वान्छित अभियुक्तों का विवरण:-

1. चन्द्रशेखर उर्फ चन्दू पुत्र अंगद सिंह यादव नि0 सुजीपुर थाना भरथना जनपद इटावा।
2. रिषभ पुत्र अरविन्द यादव नि0 सुजीपुर थाना भरथना जनपद इटावा।
3. चेतन यादव पुत्र स्व0 निर्भय सिंह नि0 बम्हौरी थाना कोत0 व जनपद औरैया।
4. रोहित पुत्र सर्वेश यादव निवासी कल्पना नगर कस्बा व थाना भरथना जनपद इटावा।

बरामदगी विवरण:-

1. 01 अदद सफेद रंग बिना नं0 की क्रेटा गाडी ।
2. 25000/- रू0 नगद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.09.2021 को वादी चन्द्रप्रकाश सैनी पुत्र बाबूराम निवासी कस्बा व थाना कोंच ने तहरीरी सूचना दी कि आज समय करीब 01 बजे दिन में मेरी लडकी प्लास्टिक खिलौने की दुकान पर वैठी थी तभी अपाचे मोटरसाईकिल सवार 02 नकाबपोश व्यक्तियों में से पीछे वैठे व्यक्ति द्वारा मेरी पुत्री के शरीर पर कोई घातक कैमिकल फेंक कर भाग गये है जिसके सम्बन्ध में थाना कोंच पर मु0अ0सं0 308/21 धारा 326-A भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक जालौन श्री रवि कुमार द्वारा कोरोसिव कैमिकल अटैक की घटना को गम्भीरता से लेते हुये घटना का सफल अनावरण, अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह के मार्गदर्शन में श्री क्षेत्राधिकारी नगर श्री सन्तोष कुमार, क्षेत्राधिकारी कोंच श्री राहुल पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी जालौन श्री विजय आनन्द के कुशल नेतृत्व में 06 टीमो को लगाया गया था । जिसके क्रम में टीमों द्वारा जनपद झांसी, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, इटावा, व म0प्र0 मे भिण्ड आदि जनपद में दबिश देते हुये करीब 50 संदिग्धो से पूछताछ की गयी तथा करीब 45 सीसीटीवी फुटेज देखे गये ।

गिरफ्तारी का स्थान , दिनांक व समय –

घटना के अनावरण में लगी स्पेशल टीम व थाना कोंच पुलिस, एसओजी व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम द्वारा थाना क्षेत्र में पतारसी सुरागरसी के दौरान मुखबिर की सूचना पर पूर्व से बन्द श्रीराम फिलिंग स्टेशन भेड़ चौराहे के पास से दिनांक 02.10.2021 को समय करीब 10.15 बजे सफेद रंग की बिना नं0 की क्रेटा गाडी से गिरफ्तार किया गया ।

पूछताछ में अभियुक्त पंकज उर्फ प्रेमनारायण (पीडिता का जीजा) ने बताया कि मै पीडिता पर बुरी नजर रखता था जिसकी वजह से पीडिता का मेरे घर पर आना-जाना बन्द था तथा इसी दौरान पीडिता की मित्रता थाना क्षेत्र कोंच के लडके से हो गयी जिसके सम्बन्धों से मुझे ईर्ष्या होने लगी थी मै उनके सम्बन्धों को उजागर कर पीडिता की जिन्दगी बरबाद कर देना चाहता था तथा इसी बात को लेकर मैने मई 2021 में पीडिता के घर पर सीसीटीवी कैमरे लगवाये थे जिनको मै अपने मोबाइल से एक्सेस करता था तथा पीडिता पर नजर रखता था मैने इस बात को अपने ड्राइवर संजय पाल को बताया तथा संजय पाल द्वारा दिनांक 23.08.2021 को मेरी मुलाकात नुमाइस मैदान औरैया में चेतन और विनय से करायी तथा उसी दिन हम चारों लोग कोंच में आकर रेकी करते हैं एवं विनय, चेतन द्वारा पीडिता के साथ घटना कारित करने के लिये चन्द्रशेखर यादव पुत्र अंगद यादव नि0 नगला चमारन भरथना जनपद इटावा को सुपारी दिलाई दिनांक 15.09.21 को चन्द्रशेखर द्वारा अजीतमल जनपद औरैया के राहुल मोटर्स से नई अपाचे मोटरसाईकिल खरीदी गई तथा दिनांक 20.09.21 को चन्द्रशेखर और उसके 02 साथी रिषभ व गौरव ने कस्बा कोंच में आकर रेकी की एवं दिनांक 21.09.21 को चन्द्रशेखर, रिषभ व गौरव आये तथा चन्द्रशेखर कस्बा के बाहर ही रूक गया था एवं रिषभ व गौरव लडकी पर घातक रसायन फेंक कर भाग गये थे उक्त घटना को मैने सीसीटीवी कैमरे से अपने मोबाइल पर लाइव देखा था उक्त घटना का सौदा कुल 07 लाख रुपये में हुआ था 02 लाख एडवांस व 05 लाख घटना के बाद दिया गया था।

पीडिता को अनुकम्पा राशि 01 लाख रू0 दौराने विवेचना व 02 लाख रू0 आरोप पत्र के बाद देने की संस्तुति की गयी है

अपराधिक इतिहास अभियुक्त विनय उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 65/20 धारा 379 भादवि थाना अजीतमल जनपद औरैया।
2. मु0अ0सं0 90/20 धारा 307/427/504/506 भादवि थाना अजीतमल जनपद औरैया ।
3. मु0अ0सं0 92/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना अजीतमल जनपद औरैया ।
4. मु0अ0सं0 316/20 धारा 147/323/386/504/506 भादवि कोत0 औरैया जनपद औरैया।
5. मु0अ0सं0 322/20 धारा 307 भादवि कोत0 औरैया जनपद औरैया ।
6. मु0अ0सं0 449/20 कोत0 औरैया जनपद औरैया ।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त गौरव उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 279/20 धारा 188/269/270 भादवि व 3 महामारी अधि0 थाना बकेवर जनपद इटावा।
2. मु0अ0सं0 244/15 धारा 147/148/149/323/504/506 भादवि थाना भरथना जनपद इटावा।
3. मु0अ0सं0 598/16 धारा 120बी/394 भादवि थाना भरथना जनपद इटावा।
4. मु0अ0सं0 836/17 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना भरथना जनपद इटावा।

अन्य अभियुक्तगणों के अपराधिक इतिहास के बारे में आस-पास के जनपद व प्रदेश से जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- | | |
|---|---|
| 1- प्र0 नि0 बलिराज शाही कोतवाली कोंच | 18- हे0का0 80 निरंजन सिंह एस0ओ0जी0 |
| 2- नि0 श्री संजय सिंह प्रभारी विशेष जांच प्रकोष्ठ | 19- हे0का0 167 मनोज कुमार सर्विलांस सेल |
| 3- नि0 श्री जितेन्द्र सिंह अपराध शाखा | 20- का01664 विनय प्रताप एस0ओ0जी0 |
| 4- व0उ0नि0 श्री आन्नद कुमार सिंह कोतवाली कोंच | 21- का0 1034 शैलेन्द्र चौहान एस0ओ0जी0 |
| 5- उ0नि0 श्री कमलेश प्रजापति प्रभारी एस0ओ0जी0 | 22- का0 1107 रवि कुमार एस0ओ0जी0 |
| 6- उ0नि0 श्री कुल भूषण सिंह प्रभारी सर्विलांस सेल | 23- का0 1036 गौरव बाजपेयी सर्विलांस सेल |
| 7- उ0 नि0 श्री प्रवीण कुमार मिश्रा कोतवाली कोंच | 24- का0 1327 जगदीश चन्द्र सर्विलांस सेल |
| 8- उ0नि0 श्री सरवेश कुमार कोतवाली कोंच | 25- का0 1080 करमवीर सिंह सर्विलांस सेल |
| 9- उ0नि0 श्री योगेश पाठक | 26- का0 1539 रोहित रावत सर्विलांस सेल |
| 10- उ0नि0 श्री योगेन्द्र शर्मा | 27- कां0 1040 संगम सिंह कोत0 कोंच |
| 11- उ0नि0 श्री आरिफ | 28- का0 1435 विकास यादव कोत0 कोंच |
| 12- उ0नि0 श्री राजकुमार | 29- का0 विकास पटेल कोत0 कोंच |
| 13- उ0नि0 श्री रवि मिश्रा | 30- का0 अनुज यादव कोत0 कोंच |
| 14- उ0नि0 निलेश कुमारी थानाध्यक्ष महिला थाना | 31- चालक पुनीत कुमार एस0ओ0जी0 |
| 15- उ0नि0 रामवीर सिंह | 32- हे0 कां0 रवि कुमार थाना कालपी |
| 16- हे0 का0 200 श्रीराम प्रजापति एस0ओ0जी0 | 33- का0 मृगेन्द्र सिंह थाना कोतवाली उरई |
| 17- हे0का0 214 राजीव कुमार एस0ओ0जी0 | |